न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/32/2022	2022/358	17.08.2022	14.02.2023

उनवान

1. जयप्रकाश पुत्र मौजीराम जाति अहीर, निवासी ग्राम भूपसेडा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार बहरोड़, जिला अलवर राज0।
2. धर्मवीर पुत्र चिरंजी, जाति अहीर निवासी भूपसेडा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज0।
3. बख्तावर पुत्र मुखराम जाति अहीर निवासी भूपसेडा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज0।
4. भोलू पुत्र चिंरजी जाति अहीर निवासी भूपसेडा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज0।
5. लिली पुत्र मुखराम, जाति अहीर निवासी भूपसेडा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज0 हाल पत्नी मक्खनलाल जाति अहीर छिरीयावास, तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।
6. विजयसिंह पुत्र चिंरजी जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज0।
7. विद्या पुत्र चिंरज, जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज0 हाल पत्नी लालाराम जाति अहीर निवासी मैनपुर की ढाणी, तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
8. यशपाल पुत्र जयराम पौत्र मुखराम, जाति अहीर निवासी भूपसेडा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज0।
9. राजेश पुत्र जयराम पौत्र मुखराम, जाति अहीर निवासी भूपसेडा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज0।
10. विजयपाल पुत्र जयराम पौत्र मुखराम, जाति अहीर निवासी भूपसेडा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज0।
11. रविन्द्र पुत्र जयराम पौत्र मुखराम जाति अहीर निवासी भूपसेडा, तहसील बहरोड, जिला अलवर राज0।
12. कुसुमलता पुत्री जयराम पौत्री मुखराम जाति अहीर निवासी भूपसेडा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज0 हाल पत्नी ईश्वरसिंह निवासी आनन्द।
13. रामेश्वरी पत्नी जयराम जाति अहीर निवासी भूपसेड़ा, तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।
14. किरोड़ी पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी फौलादपुर, तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
15. सुरेन्द्र पुत्र सुबेसिंह जाति अहीर निवासी फौलादपुर, तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
16. प्रीतम पुत्र सुबसिंह जाति अहीर निवासी फौलादपुर, तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
17. कमला पत्नी सुबेसिंह पौत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी फौलादपुर, तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
18. बन्शी पुत्र रामा पुत्री लालाराम जाति अहीर निवासी फौलादपुर, तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
19. दोली पुत्री रामा जाति अहीर निवासी फौलादपुर हाल पत्नी शेरसिंह निवासी आकेडा तहसील व जिला गुरूग्राम हरियाणा।
20. कमला पुत्री रामा जाति अहीर निवासी फौलादपुर हाल पत्नी नत्थुराम निवासी डाडरा तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।
21. भुतेरी पुत्री रामा जाति अहीर निवासी फौलादपुर हाल पत्नी रोहताश यादव निवासी सौभापुर तहसील नारनौल व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।

जिला कलक्टर, अलवर

22. सावित्री पुत्री रामा जाति अहीर निवासी फौलादपुर हाल पत्नी ओमप्रकाश निवासी सिधरावली तहसील व जिला अलवर गुरूग्राम हरियाणा।

––असल रेस्पोडेन्ट

23. बलवन्त पुत्र मौजीराम जाति अहीर निवासी भूपसेडा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।
24. बिमला पत्नी जसवन्त, जाति अहीर निवासी भूपसेडा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।
25. राकेश पुत्र जसवन्त पुत्र मौजीराम जाति अहीर निवासी भूपसेडा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।
26. संजय पुत्र जसवन्त पुत्र मौजीराम, जाति अहीर निवासी भूपसेडा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।
27. बिमला पत्नी रतिराम पुत्री मौजीराम, जाति अहीर निवासी भूपसेडा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।
28. विरेन्द्र सिंह पुत्र रतिराम पुत्र मौजीराम, जाति अहीर निवासी भूपसेडा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।
29. मन्जू पुत्री रतिराम पुत्री मौजीराम, जाति अहीर निवासी भूपसेडा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।

–तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार के निर्णय दिनांक 30.12.2021 नामान्तकरण संख्या 2635 वाके ग्राम बसई, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री मुनीराम यादव – **वकील अपीलान्ट**
02. **श्री गोविन्दराम यादव** – **रेस्पोडेन्ट** संख्या 2 लगायत 4, 5, 6, 8, 9, 10

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 30.12.2021 नामान्तकरण संख्या 2635 वाके ग्राम बसई, तहसील बहरोड, जिला अलवर राज0 जिसे बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी ख0 नं0 1213 रकबा 0.15 है0, 1216 रकबा 0.14 है0, 1218 रकबा 0.24 है0, 1221 रकबा 0.30 हे0 1222 रकबा 0.19 है0, 1240 रकबा 0.37 है0 कुल किता 6 रकबा 1.39 है0 आराजी खसरा नं. 1192 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 1226 रकबा 0.06 है0, गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम बसई तहसील बहरोड़ में स्थित है। गिलु उर्फ गिल्लुराम पुत्र लालाराम ने अपने जीवित रहते हुए एक वसीयत 16.09.1983 को अपनी सचेत अवस्था में अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे भाई के लडके जसवन्त, रतिराम, बलवन्तसिंह, जयप्रकाश व राजसिंह पिता मौजीराम जाति अहीर, निवासी भूपसेड़ा तहसील बहरोड़ को नियुक्त करते हुए पांचो भतीजों को सेवा टहल से प्रसन्न होकर करवाई गई थी। चुंकि राजसिंह लाऔलाद फौत हो गया उक्त वसीयत के आधार पर जसवन्त, रतिराम, बलवन्तसिंह, जयप्रकाश ही उसके असली हकदार रहें। जसवन्तसिंह भी फौत हो गया उसके वारीसान तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 23 लगायात 25 तथा रतीराम भी फौत हो गया जिसके वारीसान तरतीबी अप्रार्थी संख्या 26 लगायत 29 के नाम रिकॉर्ड में इन्तकाल दर्ज किया जाना चाहिए था। गिलु उर्फ गिल्लुराम पुत्र लालाराम दिनांक 05.06.2009 को फौत होने पर वसीयत ग्रहिता द्वारा वसीयत दिनांक 16.08.1993 को पटवार हल्का बसई व भूपसेडा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई पटवार हल्का द्वारा उक्त वसीयत अपने पास रखकर वसीयत ग्रहिता को आश्वस्त किया की वसीयत के

जिला कलक्टर, अलवर

आधार पर इन्तकाल दर्ज कर आपके नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया जावेगा। जिस पर वसीयत ग्रहिता ने विश्वास कर लिया। चुंकि गिल्लुराम की मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर वसीयत ग्रहिता काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड के देखने की आवश्कता नहीं हुई। दिनांक 18.11.2021 को पटवार हल्का बसई व भूपसेड़ा से मिलकर जांच की कि वसीयत के आधार पर वसीयत ग्रहिता के नाम इंतकाल दर्ज हुआ या नही तो पटवार हल्का द्वारा कहा की हमारे पास वसीयत की फोटोकॉपी है। हम आपके नाम इंतकाल दर्ज करवा देगें। आप वसीयत के बारे में अखबार में प्रकाशन करवाओं प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.11.2021 को अखबार में प्रकाशन करवा दिया गया तथा उक्त अखबार की प्रति पटवार हल्का को दे दी गई। असल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 व 6 तथा 8 लगायत 11 ने आपस में साजबाज होकर असल अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गिल्लु पुत्र लालाराम के हिस्से की आराजी का इंतकाल विरासत के आधार पर मृतक व्यक्ति चिंरजी पुत्र लालाराम, मुखराम उर्फ मुक्का पुत्र लालाराम, मौजीराम पुत्र लाला व रामा पुत्री लाला के नाम इंतकाल संख्या 2635 दिनांक 30.12.2021 को विरासत का इंतकाल दर्ज करवा दिया जो कानूनन गलत एंव बातिल व बेअसर है। क्योंकि जिन व्यक्तियों के नाम विरासत का इंतकाल खोला गया वे सभी काफी वर्ष पूर्व फोत हो चुके थे। जिससे साफ जाहिर है असल अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व 6 तथा 8 लगायत 11 ने आपस में साजबाज होकर विवादित इंतकला छलकपट करते हुए जानबूझकर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की जायदाद को हड़प करने की नियत से दुरभावना पूर्वक खोला गया, जो खारिज किये जाने योग्य है। अपील के साथ वसीयतनामा दिनांक 16.09.1983, मृत्यु प्रमाणपत्र गिल्लुराम दिनांक 05.06.2009, मुत्यु प्रमाणपत्र जसवन्तसिंह दिनांक 28.01.2016 मय वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र रतीराम दिनांक 26.12.2018 मय वारिस प्रमाणपत्र व मृत्यु प्रमाणपत्र राजसिंह दिनांक 22.07.1992 मय वारिस प्रमाणपत्र व जमाबन्दी संलग्न है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल संख्या 2635 दिनांक 30.12.2021 निरस्त कर वसीयतनामा दिनांक 16.08.1983 के आधार पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 23 लगायत 29 के नाम इंतकाल दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4, 5, 6, 8, 9, 10 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया की वसीयत के इंतकाल के लिए पटवारी हल्का को कौनसी तारीख को वसीयत की नकल दी गई इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। अपीलान्ट दिनांक 21.11.2021 को वसीयत के इन्तकाल के बारे में अखबार में साया करना बताता है। इंतकाल से क्या कार्यवाही हुई वसीयत का इंतकाल खारीज हुआ या मंजूर अपीलान्ट को इंतकाल के बारे में कार्यवाही करनी चाहिए थी। वसीयत की कोई नकल अपीलान्ट ने हम रेस्पोडेन्ट को उपलब्ध नहीं करवाई। अपीलान्ट ने फर्जी वसीयत करवाई है। अपीलान्ट ने वसीयत के बारे में कोई प्रोबेट प्रमाण पत्र भी नहीं लिया जिस आधार पर भी अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के हक में जारी किये गये इन्तकाल को चेंलेज नही कर सकता। अपीलान्ट के पिता मौजीराम का नाम भी विवादित इंतकाल में दर्ज है, उसको अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी गिलु उर्फ गिल्लुराम पुत्र लालाराम की स्वअर्जित आराजी है। जिसकी वसीयत लिखने का अधिकार वसीयतकर्ता को है। पत्रावली में सलंग्न अखबार कटिंग के अवलोकन से भी स्पष्ट जाहिर है की अपीलान्ट द्वारा विवादित इंतकाल दर्ज करने से पूर्व वसीयत के आधार पर गिल्लुराम की समस्त चल अचल संपत्ति का इंतकाल वसीयत ग्रहिता के नाम करने हेतु आम सूचना जारी की गई है। जिसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा यह भी निवेदन किया गया है, कि गिलु उर्फ गिल्लुराम पुत्र लालाराम के हिस्से की आराजी का इंतकाल विरासत के आधार पर मृतक व्यक्ति चिंरजीलाल पुत्र लाला, मुखराम उर्फ मुक्का पुत्र लाला, मौजी पुत्र लाला व रामा पुत्री लाला के नाम दर्ज किया गया है। उक्त संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया जिससे भी स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्तियों के नाम इंतकाल दर्ज किया गया है। किसी व्यक्ति के पक्ष में वसीयतनाता विवादित आराजी के संबंध में है तो वहां उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा नहीं होता है। वसीयतनाता के आधार पर हक तय होते हैं यदि वसीयतनामे पर किसी को एतराज है तो उसे

जिला कलक्टर, अलवर

दीवानी न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए। पत्रावली पर ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। जिससे यह जाहिर होता है कि उक्त वसीयत के संबंध में कोई वाद दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात से स्पष्ट जाहिर है कि विवादित इंतकाल की समस्त कार्यवाही आनन–फानन में बिना जांच किये की गई है। तहसीलदार बहरोड़ द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 2635 दिनांक 30.12.2021 निरस्त किया जाता है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन एवं उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय तहसीनदार बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर एवं समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर, अलवर